

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

सं०सं०-8/ज०सं०(नि०) विविध-15-22/2015/राँची, दिनांक-

संकल्प

श्री संजीव कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 5854 दिनांक- 30.12.2016 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियमावली-2016 के नियम-16 एवं 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी, जिसके संचालन पदाधिकारी श्री शुभेन्द्र झा, (भा०प्र०से०, से०नि०) नियुक्त थे।

2. नियुक्त संचालन पदाधिकारी श्री शुभेन्द्र झा, (भा०प्र०से०, से०नि०) का कार्यकाल समाप्त हो जाने एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 11393 दिनांक- 14.11.2017 द्वारा श्री ददन चौबे (झा०प्र०से०, से०नि०) को जल संसाधन विभाग का नया जाँच पदाधिकारी नियुक्त किये जाने के कारण श्री संजीव कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री ददन चौबे (झा०प्र०से०, से०नि०) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 5854 दिनांक- 30.12.2016 की अन्य कंडिकायें एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति तथा श्री शुभेन्द्र झा, (भा०प्र०से०, से०नि०) द्वारा वापस की गई संचिका श्री ददन चौबे, (झा०प्र०से०, से०नि०) टी०ए०डिविजन बिल्डिंग, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक -/राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि : अनुबंध की प्रति एवं जाँच संचिका (मूल में) के साथ श्री ददन चौबे, (झा०प्र०से०, से०नि०) टी०ए०डिविजन बिल्डिंग, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक -/राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग पथ प्रमण्डल, धनबाद/श्री संजीव कुमार, कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान, प्रमण्डल-04, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक - 5251/...../राँची, दिनांक- 11.12.17

प्रतिलिपि : वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।